

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 468 / 14

संस्थापन दिनांक:-31 / 07 / 14

फाईलिंग नं. 233504004352014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

सुनील पिता शिवजी बचले,
 उम्र 32 वर्ष, निवासी नांदपुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 17.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.07.2014 को समय शाम 07:00 बजे या उसके लगभग प्रार्थिया के घर के सामने ग्राम नांदपुर थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोग स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कलाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 23.07.14 को शाम 7 बजे उसके घर के सामने बैठी थी। उसके घर में अभियुक्त के पार तरफ से पानी घुस रहा था जिस पर उसने अभियुक्त से पानी क्यों आने दे रहा है कहा तो अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और मारपीट पर उतारु हो गया। अभियुक्त ने उसे किसी को बताने एवं रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 561/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा

फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी कलाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

5 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना ग्राम नांदपुर स्थित उसके घर के सामने की सुबह के 10 बजे की है। अभियुक्त सुनील एवं उसकी बहन हेमलता उसके घर के सामने आये तथा हेमलता ने उसे मादरचोद कुतिया की गाली दी और दो चाटे मारे। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त सुनील ने उसे एक मुक्का मारा तथा उसे मादरचोद हरामजादी की गाली दी।

6 आत्माराम (अ.सा.-2) तथा शिवप्रसाद (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षीगण ने कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं।

7 मंगलमूर्ति (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में दिनांक 24.07.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 561/14 की केस डायरी प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान दिनांक 25.07.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। उक्त साक्षी से बचाव द्वारा प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रमाणित होती है।

8 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने परीक्षण में अभियुक्त सुनील के अतिरिक्त उसकी बहन हेमलता के द्वारा भी गाली गलौच किये जाने के कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर यह

गलत होना बताया है कि घर तरफ पानी घुसने की बात पर से अभियुक्त सुनील ने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक को शाम 7 बजे की फरियादी के घर के सामने की है। अभियुक्त के घर के तरफ से पानी घुसने की बात पर से फरियादी ने उससे कहा कि पानी इस तरफ क्यों आने दे रहे हो तो इसी बात पर से अभियुक्त सुनील ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। इस प्रकार फरियादी कलाबाई (अ.सा.-1) ने अभियोजन कथा से भिन्न कथन न्यायालय में प्रकट किये हैं। साथ ही अभियुक्त के अलावा उसकी बहन हेमलता के द्वारा भी गाली गलौच किये जाने के कथन किये हैं। इस प्रकार फरियादी के द्वारा नये कथनों का भी समावेश अपने परीक्षण में किया गया है।

9 साक्षी/फरियादी कलाबाई (अ.सा.-1) ने जो शब्द न्यायालय में बताये हैं वे शब्द ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः बिना उनके शाब्दिक अर्थ के मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए उच्चारित किये जाते हैं जिन्हें भले ही नैतिकता के विरुद्ध माना जाता हो किंतु अभियुक्त एवं फरियादी के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए धारा 294 भा.दं.सं. के अर्थ में अश्लील नहीं माना जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224** अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

10 कलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त सुनील ने उसे काट कर मार डालने की धमकी दिया था। अभियुक्त सुनील द्वारा उक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उनके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो।

11 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 23.07.2014 को शाम 7 बजे की है। घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन शाम 4.10 बजे की गयी है। घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। कलाबाई (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में घटना सुबह 10 बजे की बतायी है। साथ ही साक्षी ने न्यायालय में विवाद का कोई कारण भी प्रकट नहीं किया है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घर की तरफ पानी आने की बात पर से विवाद होना तत्पश्चात गाली गलौच एवं धमकी दी जाना लेख है। इसके अतिरिक्त साक्षी कलाबाई ने अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करते हुए अभियुक्त सुनील के द्वारा मारपीट किया जाना बताया है। साथ ही नवीन तथ्यों का समावेश करते हुए अभियुक्त सुनील की बहन हेमलता के द्वारा भी गाली गलौच एवं मारपीट किया जाना बताया है। साक्षी कलाबाई के द्वारा अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन नहीं किये गये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलंब से करायी गयी है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त सुनील के विरुद्ध धारा 294 एवं 506 भाग-दो भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

12 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी कलाबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी कलाबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

14 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)